(12)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2504–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 23–5–2016 पारित द्वारा आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण कमांक 65/अपील/2014–15.

चांदमल साहू वल्द स्व. शिवप्रसाद साहू
कृषक ग्राम गमीरिया
निवासी महाराणा प्रताप रोड, बेगमगंज
जिला रायसेन .....आवेदक

विरूद्ध

1– राजमल साहू वल्द स्व. शिवप्रसाद साहू
निवासी एम.एफ./1/72, एम.आई.जी.
सी–सेक्टर, नेहरू नगर, भोपाल
2– जीतमल साहू वल्द स्व. शिवप्रसाद साहू
निवासी हदाईपुर मोहल्ला, बेगमगंज
जिला रायसेन .....अनावेदकगण

श्री डी.डी. मेघानी, अभिभाषक, आवेदक
श्री सईद कमर खान, अभिभाषक अनावेदक क. 1

:: आ दे श ::
(आज दिनांक 6/3/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–5–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा व्यवहार न्यायालय के प्रकरण कमांक 116ए/80 में पारित निर्णय दिनांक 2–2–81 के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नाधीन भूमि तथा उसके पिता द्वारा उसके पक्ष में की गई वसीयतनामा दिनांक 7–3–88 के अनुसार पिता के हिस्से की भूमि रकबा 4.75 एकड़ पर उसका एवं आवेदक का समान रूप से नामांतरण किये जाने हेतु तहसीलदार, बेगमगंज के समक्ष संहिता की धारा 109, 110 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक

447/अ–6/08–09 दर्ज कर दिनांक 19–4–2010 को आदेश पारित कर निरस्त किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, बेगमगंज के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 15–2–2011 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश निरस्त कर व्यवहार न्यायालय की डिक्री व वसीयतनामा तथा खसरा–खतौनी में हुई त्रुटि की जांच कर गुण–दोष के आधार पर आदेश पाारित करने हेतु प्रकरण तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के पालन में तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 244/अ–6/10–11 दर्ज कर दिनांक 30–10–2013 को आदेश पारित कर खसरा नम्बर 210, 211/1 कुल रकबा 6.39 एकड़ के 1/2 भाग पर अनावेदक कमांक 1 राजमल साहू व 1/2 भाग पर आवेदक चांदमल साहू का नामांतरण किया गया । इसी प्रकार खसरा कमांक 211/2, 212/2, 214, 215/1 कुल रकबा 7.86 एकड़ पर 1/2 – 1/2 भाग अनावेदक कमांक 1 राजमल साहू व आवेदक चांदमल के नाम राजस्व अभिलेखों में सही अंकित होने से इस खाते को 1/2 – 1/2 पृथक किये जाने के आदेश दिये गये । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 30–12–2014 को आदेश पारित किया जाकर अपील निरस्त कर, तहसीलदार का आदेश यथावत रखा गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई । आयुक्त द्वारा दिनांक 23–5–2016 को को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार के आदेश यथावत रखते हुए अपील निरस्त की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) तहसीलदार द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के प्रत्यावर्तन आदेश का पालन नहीं किया गया है, क्योंकि तहसीलदार द्वारा अनावेदक कमांक 1 से पुराने प्रकरणों में पारित आदेशों की सत्यप्रतिलिपि एवं जिस वर्ष में अनावेदक कमांक 1 के नाम से भूमि कम कर दी गई है, उस वर्ष के खसरा–खतौनी की सत्यप्रतिलिपि प्राप्त किये बिना ही आदेश पारित किया गया है, इसके उपरांत भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार का आदेश यथावत रखा गया है, जिसे निरस्त नहीं करने में आयुक्त द्वारा अवैधानिकता की गई है ।

(2) आयुक्त ने अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 15–2–2011 का विधिक एवं न्यायिक परिशीलन नहीं किया है, जिसमें उन्होंने यह अवधारित किया था कि अनावेदक कमांक 1 राजमल के अधिवक्ता कभी नामांतरण की बात करते हैं तो कभी अभिलेख दुरूस्ती की बात करते हैं, जो कि उचित नहीं है । वह स्वयं अपने दस्तावेजों से अपने आप को संतुष्ट करने के पश्चात अपना पक्ष तहसील न्यायालय में प्रस्तुत करें, किन्तु तहसील न्यायालय द्वारा इस महत्वपूर्ण विधिक बिन्दु का संज्ञान लिये बिना आदेश पारित किया गया है ।

(3) तहसीलदार द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के प्रत्यावर्तन आदेश दिनांक 15–2–2011 के पालन में वरिष्ठ न्यायालय से पुनर्विलोकन की अनुमति प्राप्त किये बिना स्वयं ही आदेश पारित कर आवेदक के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित भूमि खसरा कमांक 210 एवं 211/1 कुल रकबा 6.39 एकड़ का 1/2 भाग अनावेदक कमांक 1 एवं 1/2 भाग आवेदक के नाम अंकित कर दिया तथा पक्षकारों के पिता के स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि खसरा कमांक 211/2, 212/2, 214, एवं 215/1 कुल रकबा 7.86 एकड़ पर आवेदक एवं अनावेदक कमांक 1 के नाम पृथक–पृथक किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं, जिसे यथावत रखने में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा त्रुटि की गई है ।

(4) विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि तहसील न्यायालय को राजस्व अभिलेखों की पूर्व की प्रविष्टियों को विधिक रूप से निरस्त किये बिना नामांतरण आदेश द्वारा नई प्रविष्टि करने का अधिकार नहीं है और न ही अनावेदक कमांक 1 द्वारा इस संबंध में कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है ।

(5) विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि तहसील न्यायालय किसी भी व्यक्ति के पक्ष में तब ही नामांतरण कर सकता है, जब विधिक रूप से उस व्यक्ति द्वारा अपेक्षित भूमि में स्वत्व प्राप्त कर लिये हों, जबकि आवेदक द्वारा अनावेदक कमांक 1 को आवेदित भूमि का विकय, दान या अन्य तरह से हस्तांतरण नहीं किया गया है और न ही अनावेदक कमांक 1 का आवेदित भूमि पर कब्जा भी नहीं था । वादग्रस्त भूमि के संबंध में स्वत्व का प्रश्न उत्पन्न होने से उसका निराकरण दीवानी न्यायालय से ही हो सकता था, जिस पर दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है ।

(6) विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि न्यायालय किसी भी आवेदक को आवेदित प्रार्थना के संबंध में ही आदेश पारित कर सकता है । न्यायालय अपनी स्वेच्छा से किसी

आवेदक के पक्ष में ऐसा आदेश नहीं दे सकता है, जिसकी उसके द्वारा मांग नहीं की गई हो, जबकि अनावेदक कमांक 1 द्वारा तहसीलदार के समक्ष यह प्रार्थना नहीं की गई थी ।

(7) तहसील न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध में वर्ष 1977–78 से वर्ष 2011–12 तक 34 वर्ष से निरंतर की गई राजस्व अभिलेखों की प्रविष्टियों में परिवर्तन कर अधिकारिता रहित नामांतरण आदेश पारित किया गया है, इस विधिक बिन्दु पर विचार नहीं करने में आयुक्त द्वारा भूल की गई है ।

(8) राजस्व अभिलेखों में 34 वर्ष तक निरंतर अंकित प्रविष्टियों के संबंध में यदि अनावेदक कमांक 1 असंतुष्ट थे तो उन्हें कथित प्रविष्टि को सुधार करने हेतु संहिता की धारा 116 के अन्तर्गत एक वर्ष के भीतर आवेदन पत्र प्रस्तुत करना चाहिए था, किन्तु 34 वर्ष तक उसके द्वारा कभी आपत्ति नहीं की गई थी, इससे स्वतः सिद्ध है कि वह इन प्रवष्टियों से सहमत थे ।

(9) अनावेदक कमांक 1 की ओर से प्रस्तुत लिखित तर्क की कंडिका 8 से स्वतः स्पष्ट है कि उसके द्वारा अपने हिस्से की 7.12 एकड़ भूमि के बटवारा हेतु तहसील न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था । बटवारे के आवेदन पत्र में प्रकरण संहिता की धारा 178 के अंतर्गत अ–27 मद में दर्ज कर कार्यवाही करने का प्रावधान है, किन्तु तहसीलदार द्वारा नामांतरण प्रकरण दर्ज कर संहिता की धारा 178 के प्रावधानों का पालन किये बिना अधिकारिता रहित आदेश पारित किया गया है, जिसे यथावत रखने में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा भूल की गई है ।

(10) अनावेदक कमांक 2 औपचारिक पक्षकार है, प्रस्तुत निगरानी में उसके हित प्रभावित नहीं हो रहे हैं, किन्तु उसके द्वारा अनावेदक कमांक 2 के साथ मिलीभगत कर जो लिखित तर्क प्रस्तुत किये गये हैं, वह स्वीकार नहीं है ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) व्यवहार न्यायालय के व्यवहार वाद कमांक 116–ए/80 में पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 2–2–81 के विरूद्ध किसी भी पक्ष द्वारा अपील नहीं की गई है और न ही उक्त डिकी निरस्त हुई है । व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी को निरस्त करने की अधिकारिता पटवारी एवं तहसीलदार को प्राप्त नहीं है और न ही अनावेदक कमांक 1 को मिली 4.75 एकड़ तथा वसीयत में प्राप्त 2.37 एकड़ भूमि से पूर्ण रूप से वंचित कर

आवेदक चांदमल के नाम 10.32 एकड़ भूमि तथा अनावेदक कमांक 1 के नाम मात्र 3.93 एकड़ भूमि, बेमेल बटवारा करने की अधिकारिता प्राप्त है ।

(2) व्यवहार न्यायालय की डिक्री अनुसार आवेदक का हिस्सा 4.75 एकड़ एवं वसीयतनामा में प्राप्त 4.75 एकड़ का 1/2 भाग 2.37 एकड़ कुल रकबा 7.12 एकड़ एवं अनावेदक कमांक 1 का 7.13 एकड़ होता है, अनावेदक कमांक 2 अपना हिस्सा लेकर पूर्ण संतुष्ट है ।

(3) आवेदक ने पटवारियों से मिल–जुल कर उभय पक्ष के पिता के हिस्से की 4.75 एकड़ का नामांतरण 1/2 – 1/2 के स्थान पर व्यवहार न्यायालय की डिक्री के विपरीत स्वयं आवेदक ने खाता कमांक 6.39 एकड़ अपने नाम, अनावेदक कमांक 2 के नाम 4.75 एकड़ (अविवादित) तथा शेष 7.86 भूमि उभय पक्ष के पिता के नाम करवा दी, जिससे अनावेदक कमांक 1 को व्यवहार न्यायालय की डिक्री अनुसार 4.75 एकड़ तथा वसीयतनामा से प्राप्त 2.37 एकड़ कुल 7.12 एकड़ भूमि पर उसका हिस्सा समाप्त हो चुका है, बाद में आवेदक एवं अनावेदक कमांक 1 के नाम 7.86 एकड़ भूमि हो गई ।

(4) आवेदक के नाम व हिस्से में 6.39 एकड़ भूमि तथा 7.86 एकड़ भूमि पर भी अनावेदक कमांक 1 के साथ शामिल शरीक होकर आवेदक के नाम 10.32 एकड़ भूमि हो गई और अनावेदक कमांक 1 के नाम 3.93 एकड़ भूमि प्राप्त हुई, जबकि व्यवहार न्यायालय की डिक्री के अनुसार 7.13 एकड़ भूमि मिलना चाहिए था । इस विसंगतिपूर्ण आदेश व रिकार्ड के विरूद्ध अनावेदक कमांक 1 द्वारा तहसील न्यायालय में आवेदक के विरूद्ध नामांतरण व बटवारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिसे तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 19–4–2010 को निरस्त किया । तहसीलदार के आदेश को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 15–2–2011 को आदेश पारित कर निरस्त कर अनावेदक कमांक 1 का हिस्सा 7.12 एकड़ मान्य किया जाकर प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया है ।

(5) तहसील न्यायालय के समक्ष अनावेदक कमांक 1 द्वारा व्यवहार न्यायालय की डिक्री, खसरा–खतौनी व अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किये गये, जिस पर तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक एवं अनावेदक कमांक 1 की साक्ष्य उपरान्त गुण–दोष पर आदेश पारित कर अनावेदक कमांक 2 की अविवादित भूमि 4.75 एकड़ को छोड़कर शेष 14.25 एकड़ भूमि का 1/2 – 1/2 आवेदक एवं अनावेदक कमांक 1 के नाम किये जाने के आदेश दिये गये, जिसकी पुष्टि अनुविभागीय अधिकारी एवं आयुक्त द्वारा की गई है ।

(6) आवेदक ने इस न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास करते हुए गलत जानकारी प्रस्तुत कर विस्तृत निगरानी प्रस्तुत की है, जिसमें निगरानी के पैरा कमांक 6 में स्वत्व का बिन्दु उठाया है । आवेदक को उस समय स्वत्व का प्रश्न समझ में नहीं आया जब तहसीलदार द्वारा आवेदक के नाम 7.13 एकड़ तथा अनावेदक कमांक 1 के नाम 7.12 एकड़ भूमि का नामांतरण किया गया था।

(7) आवेदक ने निगरानी के पैरा नम्बर 7, 8, 9 10 में अपना 34 वर्षों से लगातार आधिपत्य होना बतलाया गया है । सम्मिलित खाते या परिवार की भूमि पर एक भाई कृषि कार्य कर रहा है तो अन्य सहखातेदार का भी कब्जा माना जायेगा । यदि सहखातेदार के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति का भूमि पर 12 वर्ष से लगातार कब्जा हो तो विरोधी स्वत्व उत्पन्न हो जाता है । आवेदक सीनियर अधिवक्ता है, वह इस बात को भलिभांति जानता है, फिर भी निगरानी मेमों बार–बार 34 वर्ष से आधिपत्य होने के संबंध में जो उल्लेख किया गया है, वह समझ से परे है । आवेदक ने इस न्यायालय को अंधेरे में रखकर गलत जानकारी तथा संहिता की धारा 52 के आवेदन पत्र के पैरा 4 तथा निगरानी मेमों के पैरा 10 के मध्य में एवं शपथ पत्र में यह गलत उल्लेख किया है कि अनावेदक कमांक 1 तहसीलदार के आदेश के पालन में 1/2 रकबा 7.12 एकड़ का नामांतरण कराकर अन्तरण कर देगा, जबकि वर्ष 2013 में अनावेदक कमांक 1 के नाम 7.12 एकड़ भूमि का नामांतरण हो चुका है और ऋण–पुस्तिका भी बन चुकी है ।

(8) आवेदक अनावेदक कमांक 1 के बड़े भाई हैं, के नीयत में खोट है, इसलिए वह किसी भी कीमत पर छोटे भाई को हिस्सा नहीं देना चाहता था, जो कि उसे मिल चुका है। आवेदक द्वारा वर्ष 1981 से अभी तक विभिन्न मुकद्दमों में उलझा रखा है, वह बार–बार हारने के बाद भी वर्तमान निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

उनके द्वारा 10,000/– रूपये प्रतिकर सहित निगरानी निरस्त कर, तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश यथावत रखने का अनुरोध किया गया ।

5/ अनावेदक कमांक 2 की ओर से लिखित तर्क में अनावेदक कमांक 1 की ओर से प्रस्तुत तर्कों को दोहराते हुए, अनावेदकगण कमांक 1 के तर्कों का समर्थन किया गया है । अतः अनावेदक कमांक 2 की ओर से लिखित तर्क में उठाये गये आधारों का उल्लेख नहीं किया जा रहा है ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में उठाये गये आधारों के सदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय ने व्यवहार न्यायालय द्वारा वर्ष 1981 में पारित डिक्री तथा वसीयत को ध्यान में रखते हुए ही नामान्तरण की कार्यवाही की गई है, जिसमें कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भी तहसील तहसील के विधिक आदेश को स्थिर रखा गया है । अपर आयुक्त द्वारा विधिवत विवेचना उपरांत तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश पुष्टि की गई है । इस प्रकार तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये हैं । इस संबंध में 1982 आर.एन. 36 रामाधार विरूद्ध आनन्द स्वरूप व अन्य में निम्नलिखित न्याय सिद्धांत प्रतिपादित किया गया :–

> ''धारा 50–समवर्ती निष्कर्ष–अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधानिकता या अनियमितता नहीं–पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए ।''

उपरोक्त प्रतिपादित न्याय दृष्टान्त के प्रकाश में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष विधिसंगत हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य हैं ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–5–2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर